पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल - आसेला

ग्राम पंचायत आसेला

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - आसेला गाँव लगभग 250 साल पुराना है। आसेला गाँव में उस समय राजे-रजवाड़ों का राज हुआ करता था। आसेला गाँव में एक बड़ा तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि गाँव के किसी बड़े बुजुर्ग ने यह साफ और स्वच्छ पानी का तालाब बनवाया था। इसी तालाब के चलते इस गाँव का नाम आसेला(स्वच्छ पानी का तालाब) पड़ गया। तालाब में आज भी पूरे वर्ष पानी रहता है। गाँव के आस-पास में जंगल और पहाड़ियाँ थी। जंगल में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, पेड़, पौधे और पक्षी रहते थे, जो आज भी हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम हो गयी है। आसेला गाँव की धार्मिक पहचान एक देवरा(धार्मिक स्थल) है।

गाँव का एक परिचय - आसेला गाँव की ग्राम पंचायत आसेला ब्लाक-दोवड़ा और जिला डूंगरपुर है। आसेला गाँव में फले- आसेला मुख्य गाँव, रोत फला, कटारा फला, बामनिया फला, पटेल फला प्रथम, पटेल फला द्वितीय हैं। जिला मुख्यालय डूंगरपुर गाँव से करीब 15 किलोमीटर दूर है। आसेला जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से ऑटो/जीप और बस मिलती है, जो डूंगरपुर-बांसवाडा रोड़ पर स्थित आसेला मोड़ पर छोड़ती है, जो सरकण साईं गाँव में है। आसेला मोड़ से गाँव की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। गाँव में चार कच्ची सड़क और एक पुरानी सी.सी. सड़क है। गाँव में अधिकाँश कच्चे रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है।

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय और 3 आंगनवाड़ी हैं। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है। गाँव में एक झोलाछाप चिकित्सक भी है। बड़ा सरकारी चिकित्सालय गाँव से 15 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में है। गाँव में पशु चिकित्सालय भी है। गाँव में एक छोटी बाजार भी है, जहाँ रोजमर्रा के घरेलू सामान मिल जाते हैं। गाँव में ही सरकारी राशन की दुकान भी है।

गाँव में गाँव सभा का गठन 3 सितंबर 2017 को और शिलालेख 9 नवंबर 2017 को हुआ था। गाँव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। महिलाओं में पेसा कानून की जानकारी कम है। गाँव में अनुसूचित जाति के करीब 8 परिवार, अनुसूचित जनजाति के करीब 200 परिवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के 150 परिवार रहते हैं। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी करीब-करीब 90% है। गाँव में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या करीब 25 हैं। कुल 25 लोगों में से गाँव में अनुसूचित जनजाति के 8 लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 लोग और अनुसूचित जाति के 4 लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। आसेला गाँव में पहाड़ियाँ हैं। जिन पर स्वामित्व व्यक्तिगत है।

आवागमन की स्थिति - आसेला जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से ऑटो/जीप और बस मिलती है, जो डूंगरपुर-बांसवाडा रोड़ पर स्थित आसेला मोड़ पर छोड़ती है, जो सरकण साईं गाँव में है। आसेला मोड़ से गाँव की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। आसेला मोड़ से एक पक्की सड़क गाँव तक जाती है, जो बीच-

बीच में टूट गई है। गाँव में जाने के लिए मोड़ से कोई साधन नहीं चलता है। वहाँ से गाँव तक पैदल या निजी साधन से ही जाना पड़ता है। गाँव में चार कच्ची सड़क और एक पुरानी सी.सी. सड़क है। सड़कें गुणवत्ता की कमी और मरम्मत के अभाव में उखड़ गई हैं। गाँव में अधिकाँश कच्चे रास्ते हैं और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में आंगनवाड़ी की संख्या तीन है और एक प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें करीब 98 बच्चे और दो अध्यापक हैं। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है। गाँव में एक झोलाछाप चिकित्सक भी है। बड़ा सरकारी चिकित्सालय गाँव से 15 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में है। गम्भीर मरीजों को ले जाने के लिए ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गाँव के मुख्य रास्ते पर लाने में ही बहुत समय लग जाता है। मुख्य सड़क से मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए निजी साधन अथवा 108 एम्बुलेंस से लेकर जाते हैं। गाँव में पशु चिकित्सालय भी है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

आवागमन की कमी - आसेला गाँव से एक पक्की सड़क निकलती है जो डूंगरपुर-बांसवाड़ा रोड तक जाती है, जो गाँव से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ से कहीं भी आने-जाने का साधन मिलता है। वहाँ तक जाने के लिए लोगों को पैदल या निजी वाहन से जाना पड़ता है। गाँव के विभिन्न फलों में जाने के लिए ज्यादातर रास्ते कच्चे हैं। मात्र 1 सी.सी. सड़क है, जो अब टूट गई है। गाँव के मुख्य फलों से लोगों के घर तक जाने के लिए पगडंडी है। ज्यादातर घरों तक चार पहिया वाहन नहीं पहुँच सकता है। रास्ते और आवागमन के अभाव के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों को होती है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव का पूरा रकबा 860 बीघा है। गाँव की कृषि भूमि 800 बीघा है। बेनामी जमीन 8 बीघा है। जंगल की जमीन करीब 50 बीघा है और करीब 2 बीघा जमीन चारागाह की है। खेती की उपज गेहूं, चावल, और मक्का आदि है। बिलानाम भूमि पर खातेदारी का दावा किया गया है लेकिन खातेदारी हक़ (पट्टा) नहीं मिला है। गाँव की जमीन ऊबड़-खाबड़ तथा पथरीली है। गाँव की सारी पहाड़ियाँ खाली पड़ी हैं। कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव में एक बड़ा तालाब(आसेला-स्वच्छ पानी का तालाब) है, जिसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। जो कुएं, हैंडपंप और बोरवेल तालाब के नजदीक हैं, उनमें पानी की कमी नहीं रहती है। गाँव में 20 कुँए और 30 हैंडपंप (जिनमें से चार खराब) हैं। लगभग 20 लोगों ने बोरवेल लगा रखे हैं, जिनसे सिंचाई का काम लेते हैं। गर्मियों में ज्यादातर बोरवेल में पानी कम हो जाता है, जिससे केवल पीने का पानी उपलब्ध हो पाता है। गर्मी में पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। नाले में मात्र बरसात में पानी भरा रहता है। उसके बाद सूख जाता है। मार्च के

बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक गाँव वालों के पास नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव वालों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। पाटीदार लोगों की कुछ जमीन समतल है। बाकी लोगों की जमीन पथरीली, पहाड़ की ढलान वाली और ऊबड़-खाबड़ है। पानी की व्यवस्था समतल जमीन पर ठीक-ठीक हो जाती है। जिन लोगों की जमीन पहाड़ी की ढलान पर और ऊबड़-खाबड़ तथा पथरीली है, उन्हें खेती करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश लोगों की खेती सिर्फ बरसात में ही हो पाती है। जंगली जानवर जैसे नीलगाय, बंदर और जंगली सूअर फसल को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अधिकांश लोग जो खेती करते हैं, वह स्वयं के परिवार के भरण-पोषण के ही काम आती है। खेती में तीन-चार महीने भर का अनाज उत्पन्न होता है। खेती की उन्नत तकनीक भी बहुत कम लोग या नहीं के बराबर लोगों को आती है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग भी प्रायः पटेल लोग ही करते हैं। पटेल परिवारों के करीब 40-45 युवा कुवैत गए हैं, जहाँ वे मजदूरी का कार्य करते हैं। जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति आदिवासी परिवारों की अपेक्षा काफी बेहतर है। खेती के अलावा गाँव में रोजगार का एकमात्र साधन मनरेगा है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको न तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और न ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। मनरेगा में सामान्यतया वार्ड पंच मेठ होते हैं। वह लोगों का आवेदन तो करवाते हैं, लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं। मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हैं। मनरेगा भी उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहाँ उनको कोई काम मिलता है तो ठीक, नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं। दूसरे दिन फिर उसी मजदूर मंडी में पहुँच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में स्थाई रूप से काम नहीं मिलने के कारण लोग गुजरात के शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत, वापी में मजदूरी करने जाते हैं। जहाँ वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल कुआं निजी बोरवेल हैंड पंप तालाब नाला	गाँव में लगभग 20 कुँए, 30 हैंडपंप और 20 बोरवेल हैं। गाँव में एक बड़ा तालाब और कई नाले हैं। मार्च के बाद कुँए लगभग सूख जाते हैं। हैंडपंप में भी पानी कम हो जाता है। बोरवेल से केवल पीने का पानी ही मिल पाता है। तालाब में पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन नाले में एनिकट नहीं होने से केवल बरसात में पानी रहता है। बरसात बाद सभी नाले सूख जाते हैं। बरसात के पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से गाँव का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है जिसके कारण गर्मियों में हर वर्ष पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। जलस्तर से नीचे जाने के कारण पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है।	गाँव में लगातार बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए मौजूदा समय में तालाब का गहरीकरण और मरम्मत तथा गाँव के नालों पर कच्चे और पक्के एनीकट का निर्माण करके तथा पहाड़ की ढलान पर वर्षा जल संरक्षण करने से गाँव के अधिकतर लोगों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊँचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। तलावडी और पुराने कुओं की मरम्मत तथा गहरीकरण करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है। ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को नियत्रंण करना होगा। गाँव में पानी रोकने से खेतों की सिंचाई, मछली पालन, पशुओं का चारा और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है।
जमीन कृषि भूमि बिलानाम भूमि चारागाह जंगल	गाँव का पूरा रकबा 860 बीघा है। गाँव की कृषि भूमि 800 बीघा, बेनामी जमीन 8 बीघा, जंगल की जमीन करीब 50 बीघा तथा 2 बीघा चारागाह है। खेती की उपज में गेहूं, चावल, उड़द, और मक्का आदि है। गाँव की थोड़ी ही जमीन	खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है, उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा

	समतल है, जो पाटीदारों के पास है। बाकी जमीन पहाड़ी ढलानवाली, ऊबड़-खाबड़, पथरीली है, जिस पर आदिवासी लोग खेती करते हैं। समतल जमीन पर धान और गेहूं पैदा होता है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव में जितनी जमीन है, उसके आधी से कम जमीन पर खेती होती है और बिलानाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है	सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। गाँव के नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है और मछलीपालन भी किया जा सकता है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों में जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से कृषि और अन्य व्यवसाय के लिए लोग योजना बनाना शुरू करें, तो गाँव से किशोरों और युवाओं के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
जंगल	गाँव में पहाड़ियाँ हैं, जिन पर वृक्ष नहीं हैं। जंगल पर वन विभाग का आधिपत्य है। जंगल के वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद गाँव का जंगल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जंगल की जमीन और पहाड़ियों पर अब पेड़ नहीं बचे हैं। पेड़ न होने के कारण गाँव के लोगों को किसी भी प्रकार की लघुवन उपज नहीं मिलती है। जंगल पर सामुदायिक दावा पेश कर दिया है। जंगल में अधिकतर झाड़ियाँ, बबूल, सीताफल और सागौन के पेड़ हैं। महुए के भी पेड़ है। महुआ से कुछ लोग शराब बनाते हैं।	जंगल को गाँव सभा के अधीन करके उसे पुनर्जीवित करना। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी लेना। इस प्रकार गाँव के लोगों की आय के स्रोत को बढ़ाना। जंगल के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था होने पर जंगल में आंवला, टीमरु, सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाना।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। चारा गाँव के अधिकाँश लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा बाजार से खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियाँ होने से चारा कम ही मिल पाता है।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में पटेल परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, क्योंकि समतल जमीन पर पटेल परिवारों का कब्जा है और लगभग हर परिवार के युवा खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं। गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी, दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से आदिवासी परिवारों में 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता है। गाँव में काम नहीं होने से कुछ लोग काम की तलाश में डूंगरपुर, सागवाडा जाते हैं और शाम को वापस घर लौट आते हैं। वहाँ रोज काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलने पर खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे प्रांतों खासकर गुजरात में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहाँ भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - गाँव में करीब 20 घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। गाँव के कुछ घरों में शौचालय नहीं बना है। जो शौचालय बने हैं, वो भी नाम मात्र के बने हैं। उनकी दीवारें सीमेंट की चद्दरों की अथवा बहुत पतली हैं। कुछ शौचालय पर छत भी नहीं है। राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है। राशन की दुकान पर पोस मशीन भी समस्या ग्रस्त रहती है। अंगूठे का निशान कभी-कभी नहीं मिलता है या इंटरनेट की समस्या होती और लंबी लाइन लग जाती है। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र हो चुकी है पर वे जरूरी औपचारिताओं की कमी के चलते पेंशन नहीं ले पा रहे हैं।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	सार्वजनिक	आसेला के आस-पास के भूभाग की संरचना पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ है। जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के कारण रास्ते बनाने में समस्या होती है। जो रास्ते बन जाते हैं, वह जल्दी ही बारिश के कारण खराब हो जाते हैं। रास्तों के निर्माण और उनकी मरम्मत के दौरान अच्छी गुणवत्ता का सामान उपयोग नहीं किए जाने के कारण भी रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। मनरेगा के तहत जो सड़कें बनती हैं, उसमें भी गाँव वालों की भागीदारी के बजाय निजी कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) से बनवा ली जाती हैं। कई बार सड़क के बीच में से लोग पाइपलाइन अपने खेतों की सिंचाई के लिए निकालते हैं और बीच में सड़क खोद देते हैं। यह भी रास्ते की समस्या का एक कारण बनता है। ठेकेदार द्वारा अच्छी गुणवत्ता का सामान उपयोग किया जा रहा है या नहीं, अथवा समय से कार्य हो रहा है या नहीं, इस पर गाँव वालों की कोई निगरानी नहीं होना भी	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहाँ रास्ते नहीं है, वहाँ के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है, जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी। मनारेगा के तहत सड़क निर्माण के पूर्व सूचना गाँव वासियों को देने से वे सड़क खोदने जैसे कार्य नहीं करेंगे और निर्माण के समय ही पाईप डाल लेंगे।	तात्कालिक

			रास्ते की समस्या का एक कारण है।		
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव के विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त अध्यापक हैं और न ही बैठने के लिए पर्याप्त कमरे। विद्यालय में बच्चों के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और न ही शौचालय ठीक हैं। विद्यालय की मरम्मत की भी जरूरत है।	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक में विद्यालय भवन की मरम्मत, शिक्षकों की नियुक्ति तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रस्ताव लिए गए हैं।	**तात्कालिक**
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। ऊबड़-खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है, उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलने वाले नाले में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नाले का सारा पानी निकल जाता है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत। खेत तलावड़ी, मेड़बंदी, कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है, जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है। वृक्षारोपण, मछली पालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।	**तात्कालिक**
4	काबिज भूमि	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गाँव में मात्र कुछ ही लोगों	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि	**दीर्घकालिक**

	पर खातेदारी का हक नहीं मिलना		को खातेदारी का हक मिला है। गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं। जिस भूमि पर वह काबिज हैं, वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना बंद कर दिया है। सरकार कब उनकी जमीन छीन ले, ये भय किसानों में हमेशा बना रहता है।	पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज हैं, उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं, उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	
5	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मी के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में ट्यूबवेल का पानी पीने से लोगों के पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित	बरसात के पानी को पूरे वर्ष नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना। बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

			व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।		
6	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में बहुत से लोगों के आवास नहीं बने हैं। जिनको आवास की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह लोग अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपने आवास बनवा भी नहीं सकते। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण प्रति आवास 10 हजार रूपये की रिश्वत माँगी जाती है। यह रिश्वत नहीं देने के कारण भी जरूरतमंद आवास से वंचित हैं। जिन लोगों के आवास बन चुके हैं, उनमें से कई लोगों को अभी तक आवास का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। यही हाल शौचालय का भी है। पेंशन भी कई पात्र लोगों को नहीं मिल रही है। कई लोगों की पेंशन बंद भी हो गई है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए गाँव सभा को आगे आना।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्ची सड़क पक्की सड़क मजदूर मनरेगा	कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में तब्दील नहीं किया गया। पक्की सड़क के निर्माण में सही मटेरियल का प्रयोग नहीं किया गया। गाँव में सड़क निर्माण कार्यों में गाँव सभा की निगरानी नहीं होना। मनरेगा के प्रति लोगों की उदासीनता। सड़क निर्माण मनरेगा के तहत न हो कर बाहरी व्यक्ति या प्राइवेट ठेकेदार द्वारा करवाना सड़क निर्माण के लिए लोगों द्वारा जमीन न देना	आने-जाने में सुविधा। बच्चों को समय से विद्यालय और बुजुर्गों को समय से अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। मनरेगा में रोजगार की संभावना। छोटे-मोटे उद्योग शुरू किये जा सकते हैं।	गाँव सभा को एकजुट तथा संगठित करना। सरपंच और मेट द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। निगरानी समिति का कामों पर निगरानी व उपयोगिता प्रमाण पत्र देना। सड़क निर्माण के लिए जमीन प्राप्त करने हेतु लोगों के आपासी विवाद निपटाना।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप तालाब	तालाब का गहरीकरण न होना। लोगों का जल संग्रहण के प्रति कोई योजना न बनाना। बोरवेल के अत्यधिक प्रयोग से जलस्तर का नीचे जाना। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होना। जलस्तर बरकरार रखने या बढ़ाने के लिए जगह-जगह कच्चे-पक्के चेकडैम का न होना।	तालाब का गहरीकरण मनरेगा के तहत किया जा सकता है। जगह-जगह कच्चे व पक्के चेक डैम का निर्माण किया जा सकता है। एनिकट निर्माण और मरम्मत की जा सकती है। जल प्रबंधन की योजना बनाकर वर्षा के पानी को रोका जा सकता है।	पंचायत और गाँव के लोगों को जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना। गाँव सभा द्वारा विकास के ज्यादातर कार्य मनरेगा के माध्यम से कराने की माँग करना। गाँव सभा को मजबूत करना। गाँव सभा का ट्यूबवेल के उपयोग पर नियंत्रण होना।

आजीविका के साधन मनरेगा सब्जी उगाना मछलीपालन पशुपालन कृषि	गाँव की जमीन बहुत ही ऊबड़-खाबड़ व पथरीली है। ऐसी जमीन पर सब्जी व कृषि की अन्य फसलों की उचित पैदावार नहीं की जा सकती है। गाँव के एनिकट और तालाब में मछलीपालन की कोई योजना नहीं है। मनरेगा में लोगों को मानदेय के अनुसार मजदूरी न मिलना। चारागाह जमीन पर पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध न होना। चारागाह जमीन पर लोगों का कब्ज़ा।	खेती की जमीन को समतलीकरण करके उपजाऊ बनाना। समतलीकरण के बाद सब्जी उगाई जा सकती है। गाँव के तालाब और एनिकट में मछलीपालन किया जा सकता है। चारागाह जमीन से अवैध कब्जों को हटाकर चारागाह विकसित किया जा सकता है। विकास के सभी कार्य मनरेगा के तहत होने से लोगों को रोजगार का अवसर मिल सकता है।	पंचायत और सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। लोगों को मनरेगा के प्रति जागरूक करना। आजीविका के प्रति जागरूक करना। गाँव सभा द्वारा विकास कार्यों की निगरानी व गाँव की समस्याओं पर चर्चा करना। चारागाह जमीन से अवैध कब्जों को हटाना।
भूमि जंगल चारागाह बिलानाम	वर्षों से बसे लोगों का काबिज भूमि पर खातेदारी हक़ नहीं मिलना। जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा। जंगल के प्रबंधन की किसी योजना का न होना। लोगों का जंगल के प्रति उदासीन होना। चारागाह जमीन पर लोगों द्वारा अवैध कब्ज़ा।	बिलानाम भूमि पर अधिकार पत्र का आवेदन करना। जंगल पर सामुदायिक दावा करना। वन प्रबंध की योजना बनाना। वन में फलदार व लघु उपज के पेड़ लगाना। अवैध कब्जे हटाकर चारागाह को विकसित करना।	वन अधिकार और बिलानाम भूमि के मुद्दे पर लोगों को लम्बे समय तक जोड़े रखना। वन व चारागाह प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना। चारागाह जमीन से अवैध कब्जे हटाना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

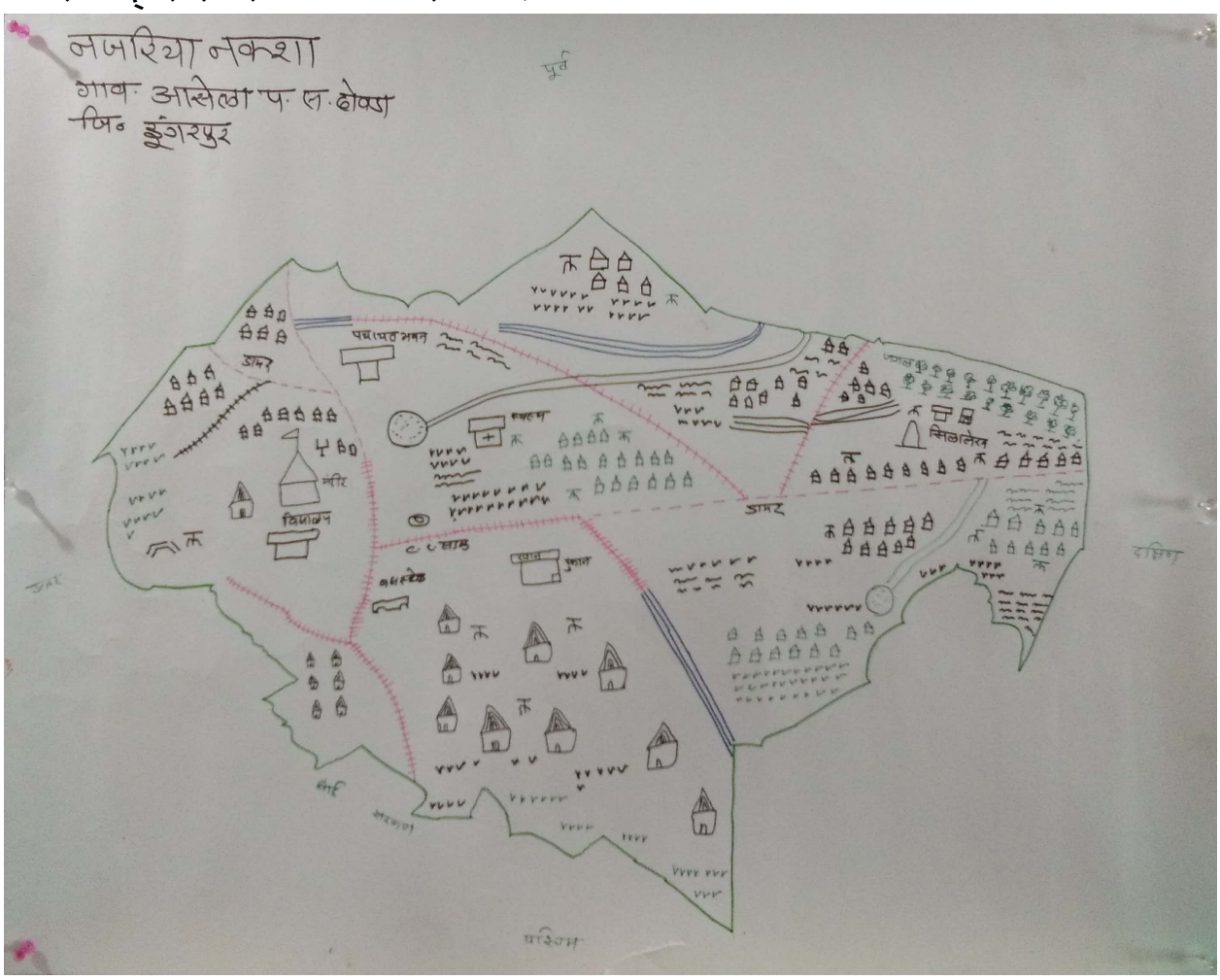

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्ताव क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	खेत समतलीकरण	8	8
2	तालाब का गहरीकरण मय रिंग वाल	1	गाँव के समस्त परिवार
3	पशु बाड़ा निर्माण के संबंध में	45	45
4	रास्ता निर्माण के संबंध में	8	8
	लालू लिंबा मेन रोड लालू भाई सी.सी. रोत फला	1	गाँव के समस्त परिवार
	सुखलाल कम जी के घर तक सी.सी. सड़क	1	
	हकरा नाथू के घर तक सी.सी. सड़क	1	
	कचड़ा लाल जीवा के घर तक सी.सी. सड़क	1	
	मोगाजी हकरा के घर तक सी.सी. सड़क	1	
	गीता महेंद्र के घर तक सी.सी. सड़क	1	
	मोहन लाल रोत घर से देवचंद के घर तक सी.सी. सड़क	1	
5	पशु बाड़ा निर्माण के संबंध में	19	19
6	नए हैंडपंप लगवाने के संबंध में	26	--
7	नए कुएं निर्माण के संबंध में	12	12
8	नया एनीकट निर्माण पुराने एनीकट की मरम्मत के संबंध में	11	गाँव के समस्त परिवार
9	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास निर्माण के संबंध में	22	22

10	पेंशन के संबंध में		
	वृद्धा पेंशन	7	7
	विधवा पेंशन	3	3
	विकलांग पेंशन	6	6

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

गाँव सभा करते लोग आसेला

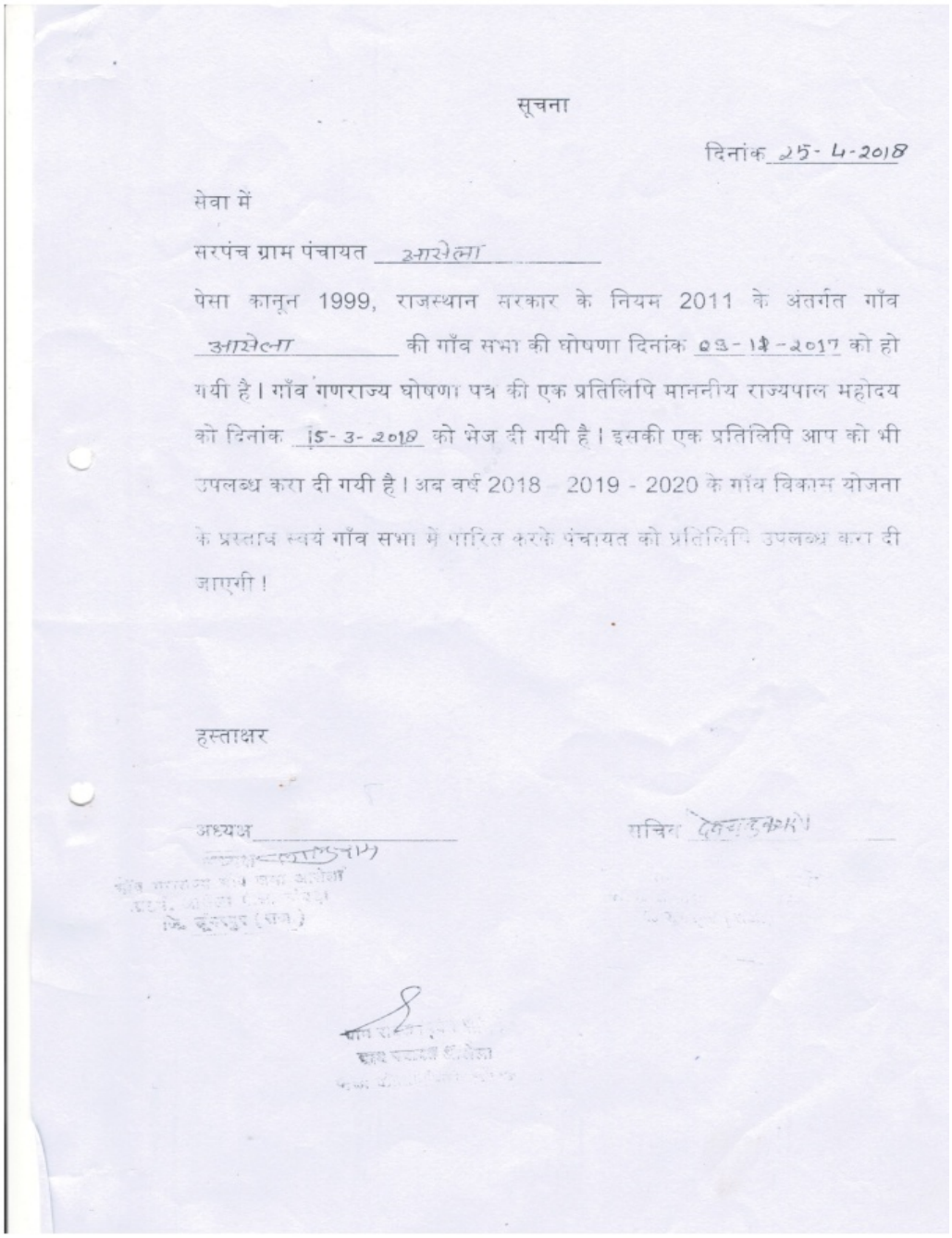

सूचना

दिनांक 25-4-2018

सेवा में

सरपंच ग्राम पंचायत आरेला

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव आरेला की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 03-12-2017 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 15-3-2018 को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 - 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

सचिव

सूचना

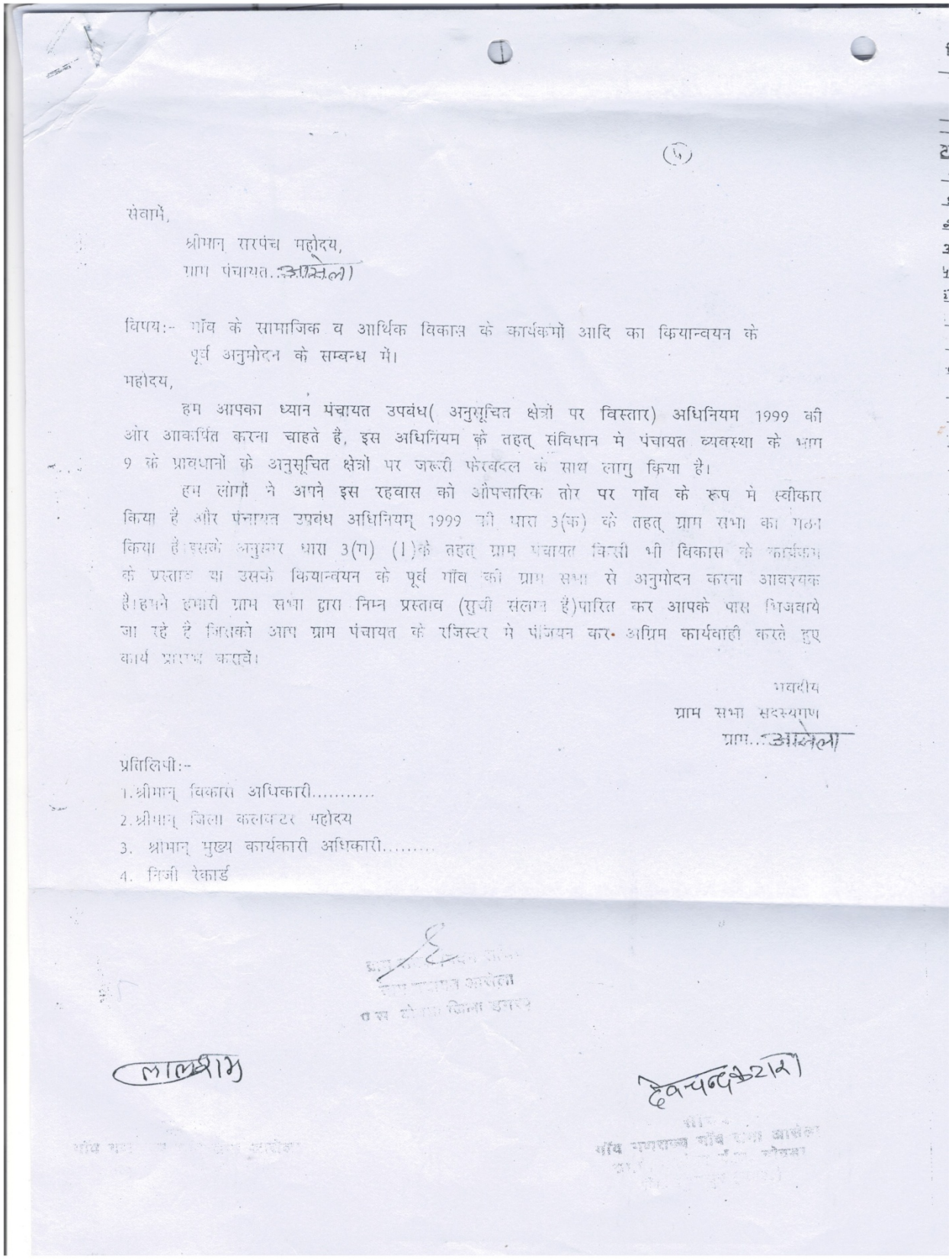

(5)

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत ...आसेला

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (I)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम...आसेला

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् विकास अधिकारी...........
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

लालराम

देवचन्द खराडी

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

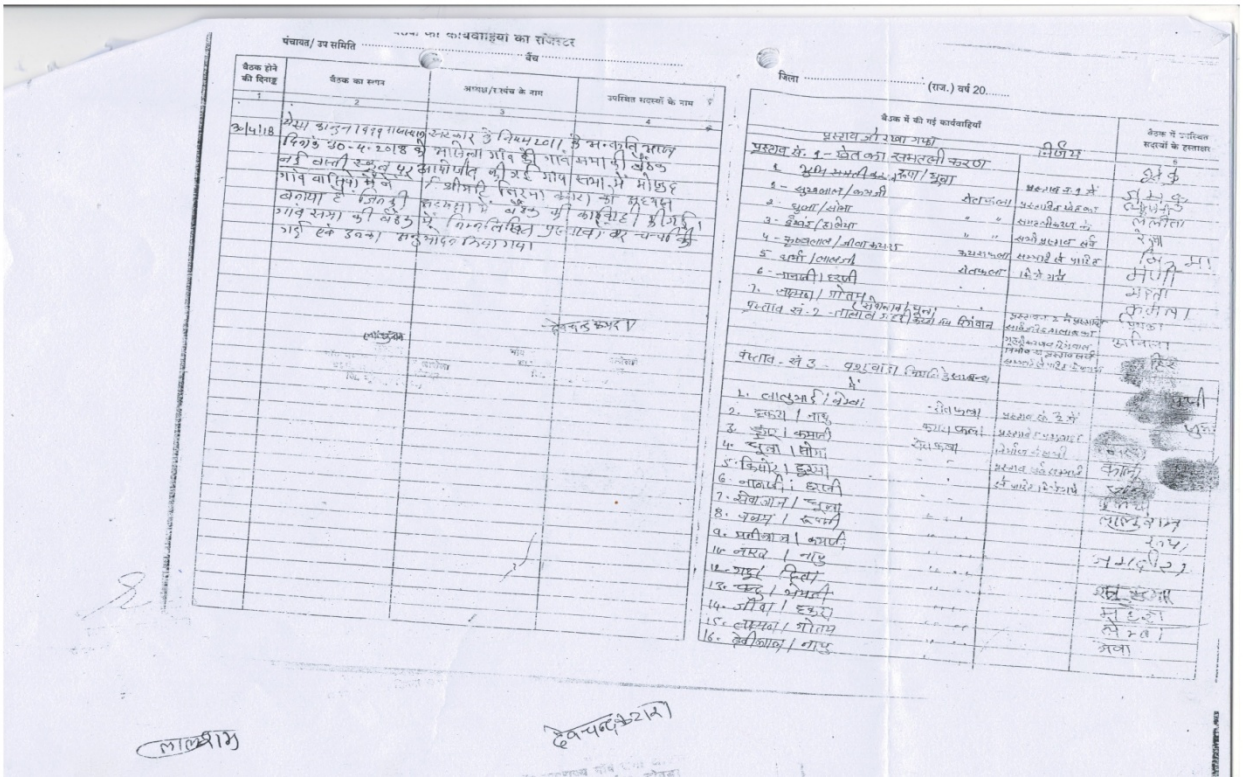

प्रस्ताव प्रथम पेज

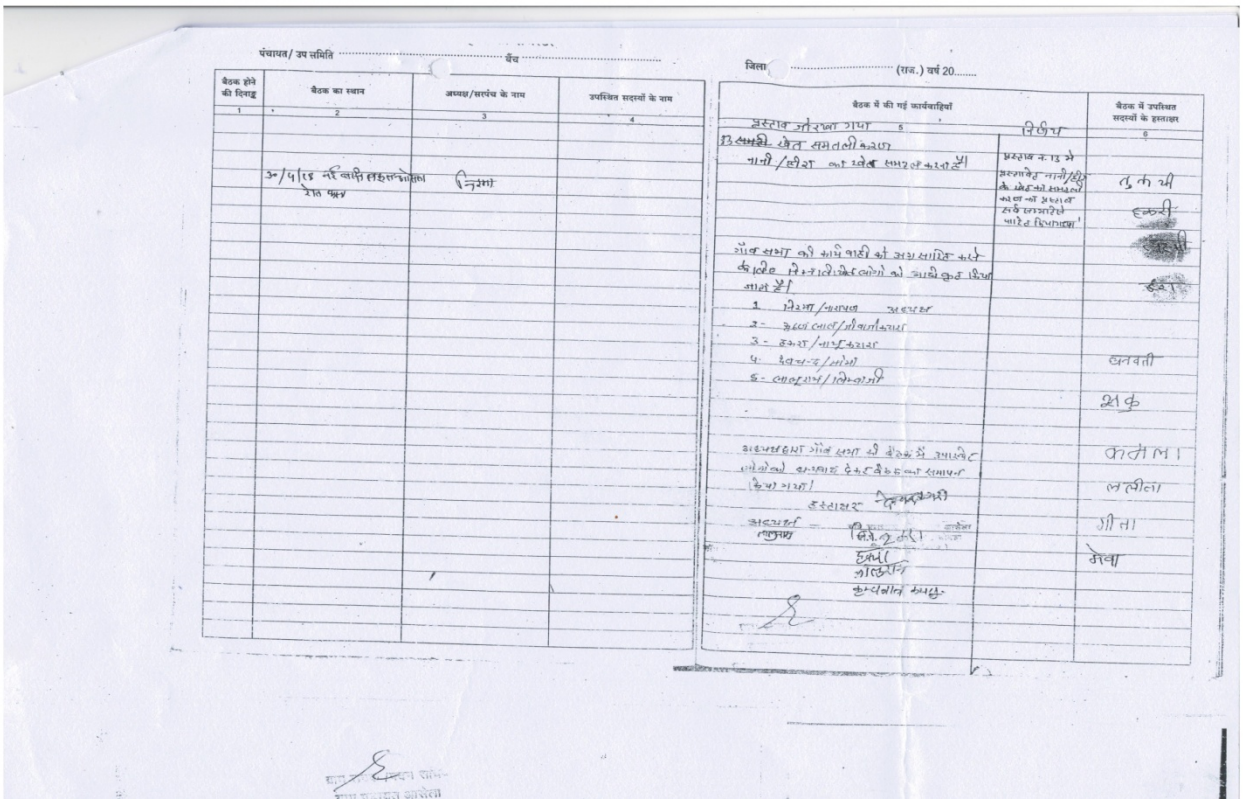

प्रस्ताव अंतिम पृष्ठ

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	**फोन न.**
तुलसी देवी/धूल जी रोत -	9950275642
देवचंद/सोमाजी कटारा -	9950530986
धुलेश्वर/देवजी रोत -	9001501893